

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

क्रमांक D/7729 /

// आदेश //

जबलपुर, दिनांक 29 / 11 / 2019

चार-12-14 / 10

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1111/गोपनीय/2019 दिनांक 03 अक्टूबर 2019 द्वारा श्री मसूद अहमद खान, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाणपत्र जारी किया है कि उन्हें स्थाई कर दिया गया होता, किंतु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही कोई पद उपलब्ध होता है उन्हें स्थाई कर दिया जावेगा, जारी किये जाने के फलस्वरूप एंटी वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने पर उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति का दिनांक	प्राप्त वेतन	वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5
21.07.2016	51550.00	-	-	-
	<u>43690-56470</u>			
	<u>51550.00</u>			
	16.06.2016			
	आगामी वे0वृ0	16.06.2017	<b>52780.00</b>	01.06.2017
		16.06.2018	<b>54010.00</b>	01.06.2018
		16.06.2019	<b>55240.00</b>	01.06.2019

Sdt

(अजय पवार)  
रजिस्ट्रार(एम)

पृष्ठांकन क्रमांक D/7730 /

जबलपुर, दिनांक 29 / 11 / 2019

चार-12-14 / 10

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. रजिस्ट्रार, औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित
3. श्री मसूद अहमद खान, रजिस्ट्रार, औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश, इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018/368 दिनांक 01.03.2018 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।